मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

विशेष सत्र

सोमवार, दिनांक 27 अप्रैल, 2026 (वैशाख 7, शक संवत् 1948)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

1. राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' का समूहगान

सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के समूहगान से प्रारम्भ हुई.

2. स्वागत उल्लेख

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष ने सदन में उपस्थित महिलाओं और बहनों का स्वागत उल्लेख किया।

3. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित के निधन पर सदन की ओर से शोकोद्गार व्यक्त किये गये :-

(1) श्री गणेश प्रसाद बारी, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(2) श्री यादवेन्द्र सिंह, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(3) श्री के.पी.उन्नीकृष्णन, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
(4) श्रीमती मोहसिना किदवई, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
(5) श्री अबू हासेम खान चौधरी, भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री,
(6) श्री बिरेन सिंह इंगती, भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री एवं
(7) श्रीमती आशा भोसले, सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका.

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री, श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष एवं डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य द्वारा भी शोकोद्गार व्यक्त किये गये.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई. सदन द्वारा 2 मिनट के लिए मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

तत्पश्चात् दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11:28 बजे से आधे घण्टे के लिए स्थगित की जाकर अपराह्न 12:12 बजे विधान सभा पुन:समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

4. औचित्य का प्रश्न एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

आसंदी द्वारा नारी शक्ति के वंदन हेतु महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण संबंधी संकल्प प्रस्तुत करने हेतु मुख्यमंत्री जी का नाम पुकारे जाने पर नेता प्रतिपक्ष, श्री उमंग सिंघार द्वारा प्वाईंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से अपनी बात कहने का प्रयास करने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि - जो आज

कार्यसूची में मुख्यमंत्री जी का संकल्प लगा हुआ है, वह प्रस्तुत हो जाये फिर मैं आपको बोलने की अनुमति देता हूँ.

इस दौरान श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य द्वारा आसंदी से निवेदन किया गया कि यह प्वाईंट ऑफ ऑर्डर, मुख्यमंत्री जी जो संकल्प प्रस्तुत करना चाह रहे हैं उसी से संबंधित है.

लोक निर्माण मंत्री, श्री राकेश सिंह ने कहा कि आपका यह प्वाईंट ऑफ ऑर्डर किस रूल के तहत उठाया जा रहा है यह बताना पड़ेगा.

संसदीय कार्य मंत्री, श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अभी कार्य मंत्रणा समिति में यह तय हुआ है कि मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव रखेंगे.

श्री उमंग सिंघार ने आसंदी से निवेदन किया कि यह असत्य बात है यह कोई तय नहीं हुआ है. हमारा अशासकीय संकल्प आया, क्या सरकार उस पर चर्चा कराने के लिए तैयार है, क्या 33 प्रतिशत, आज 543 सीटों पर, आरक्षण देने के लिये यहां से प्रस्ताव जायेगा ?

तदुपरांत अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि - मेरा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से अनुरोध है कि आप वरिष्ठ सदस्य हैं, सदन की मर्यादा को भली प्रकार से जानते हैं. जिस संकल्प के लिये यह सत्र माननीय राज्यपाल जी ने आहूत किया है, वह विषय प्रारंभ हो जाये, उसके बाद फिर आपका कोई विषय होगा, आप रेज़ करेंगे तो मैं उस पर व्यवस्था दूँगा इसलिए मुख्यमंत्री जी को तो अपना संकल्प प्रस्तुत करने दीजिये.

5. शासकीय संकल्प

नारी शक्ति के वंदन हेतु महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण संबंधी संकल्प पर चर्चा.

मुख्यमंत्री, डॉ. मोहन यादव ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"इस सदन का मत है कि नारी शक्ति के वंदन हेतु महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण के लिए देश की संसद एवं सभी विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण, परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर, तत्काल प्रभाव से लागू किया जाये."

संकल्प प्रस्तुत हुआ.

संकल्प प्रस्तुत होने के उपरांत नेता प्रतिपक्ष, श्री उमंग सिंघार ने प्वाईंट ऑफ ऑर्डर उठाया कि - चूंकि कांग्रेस विधायक दल की तरफ से भी अशासकीय संकल्प दिया गया था और जैसा नियम 117 में व्यवस्था है कि माननीय अध्यक्ष जी यदि चाहें तो उसे ग्राह्य करवाकर, उस पर चर्चा करवा सकते हैं. हमारा विषय अशासकीय संकल्प में है कि 33 प्रतिशत तत्काल की, वर्तमान सीटों पर, परिसीमन कब होगा ? जनगणना कब होगी ? मैं आप से कहना चाहता हूं कि क्या आज यहां, इस पर सरकार चर्चा करना चाहेगी ?

संसदीय कार्य मंत्री, श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस में जो संकल्प प्रस्तुत हुआ, माननीय राज्यपाल जी के निर्देश पर विशेष सत्र बुलाया गया है और इसमें जो संकल्प प्रस्तुत हुआ, साधारणतया हमारे यहां स्थाई आदेश में यह परंपरा होती है कि जो संकल्प एक समान, यदि कोई भी प्रस्तुत करेगा तो जो पहले संकल्प देगा, उसका माना जायेगा. अध्यक्ष महोदय, जब मैं स्वयं विपक्ष का सदस्य था और मैंने 20 दिन पहले एक संकल्प दिया था, इसी बीच सरकार उस पर शासकीय संकल्प ले आई, जिसमें आधा घंटा चर्चा हुई और उस समय माननीय श्रीनिवास तिवारी जी विधान सभा अध्यक्ष थे उन्होंने स्थाई आदेश दिया था कि जो संकल्प साधारणतया पहले आता है, हम उसे स्वीकार करते हैं पर चूंकि यह शासकीय संकल्प है इसलिए हम इसे अनुमति प्रदान कर रहे हैं और मेरे आग्रह को उन्होंने निरस्त कर दिया था, यह सदन की परंपरा है. आसंदी से ही स्थाई आदेश निकला हुआ है, माननीय सदस्य ने जो कहा है, मैं, उनका विरोध नहीं करूंगा परंतु जो व्यवस्था और परंपरा हमारे यहां रही है, वह यही रही है कि जो संकल्प पहले आ जाता है, उसे आसंदी स्वीकार करती है.

नेता प्रतिपक्ष, श्री उमंग सिंघार ने प्वाईंट ऑफ ऑर्डर उठाया कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने दो बातें कहीं कि पहले सूचना दी गई. अगर सूचना पहले दी गई तो नियम 123 (3) के अंदर, विधान सभा प्रमुख सचिव को इन सूचनाओं की जानकारी देनी थी, किस सदस्य को जानकारी दी गई ? कब दी गई ? पहले अशासकीय संकल्प हमारा लगा है, ये प्रमाण है. आपने अगर पहले लगाया तो आपको सूचनायें देनी थीं, आपने सूचना क्यों नहीं दी? और अगर लगा है तो नियम 117 के अंदर स्पष्ट है कि यदि अध्यक्ष महोदय चाहें तो 15 दिनों की आवश्यकता नहीं है.

डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य ने प्वाईंट ऑफ ऑर्डर से अपनी बात रखते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प प्रस्तुत किया है, नेता प्रतिपक्ष जी जो कह रहे हैं, यह कौल एण्ड शकधर की किताब का पेज नंबर 903 है- "जब कोई संकल्प सभा में पेश कर दिया गया हो, तो उसके पश्चात् सारवार रूप से वही विषय उठाने वाला कोई अन्य संकल्प या उसमें संशोधन, ये एक वर्ष तक नहीं दिया जा सकता है." ये आज के आज में दे रहे हैं, ये एक साल तक नहीं दिया जा सकता है.

इस पर नेता प्रतिपक्ष, श्री उमंग सिंघार ने कहा कि - अध्यक्ष महोदय, ये संशोधन की बात कर रहे हैं. हम अशासकीय संकल्प की बात कर रहे हैं. पहले माननीय सदस्य को स्पष्ट किया जाये कि किस विषय पर बोलना है.

सदस्य, श्री बाला बच्चन ने अपनी राय व्यक्त की कि - अध्यक्ष महोदय, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023, जो कानून बना वह 20 सितंबर, 2023 को बना, उसमें यह निहित है, जब चर्चा चल रही थी, उसके बाद 16 अप्रैल, 2026 को अधिसूचना जारी करते हैं. तो जब संशोधन पर चर्चा चल ही रही थी तो उस पर अधिसूचना जारी करना, माननीय पूर्व स्पीकर साहब ने जो बोला मैं उस बात को कोट कर रहा हूं कि जब चर्चा संशोधन पर ही चल रही थी और जो कानून बन चुका था आपने दो साल, पांच महीने तक उसकी अधिसूचना जारी नहीं की थी. जब तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में नहीं देने की जो चर्चा हुई है और उसमें भारी बहुमत से यह जो बहस गिर चुकी है वहां उसके बाद किरेन रिजिजू जी ने यह बात कही है कि यह जो हमारे दो दूसरे संशोधन विधेयक हैं मैं इनको वापस लेता हूं, तो जब देश की संसद में वह जो संशोधन बिल वापस हो चुका है तो फिर यह महिलाओं के आरक्षण के साथ में परिसीमन की प्रक्रिया को जोड़ रहे हैं, तो आपकी नीयत का पता चलता है कि आप स्वयं ही महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण नहीं देना चाहते हैं.

मुख्यमंत्री, डॉ मोहन यादव ने कहा कि अध्यक्ष महोदय, जिस बात की बाला बच्चन जी बात कर रहे हैं और माननीय मित्रों ने बात की है इसी पर तो दिन भर बात करना है. आप आपकी बात करो. हम हमारी बात करेंगे. हम इसी बात के लिए तो कह रहे हैं कि हां हम वर्तमान में बढ़ी आबादी के साथ 33 प्रतिशत आरक्षण देना चाहते हैं इसमें गलत क्या है.

श्री अजय अर्जुन सिंह, सदस्य ने कहा कि आज की तारीख में महिला आरक्षण 33 प्रतिशत वर्तमान स्थिति में आप कर दीजिए. क्या दिक्कत है. किसलिए रुके हैं. किसलिए परिसीमन कराइये, जो चीज लोकसभा में खत्म हो चुकी है. क्या वही विषय यहां पर हम ला सकते हैं?

संसदीय कार्य मंत्री, श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अध्यक्ष महोदय, यह 106 वां संविधान संशोधन था और इसमें बहुत ही स्पष्ट था कि इसमें परिसीमन होगा और परिसीमन के बाद वर्ष 2023 में जब यह प्रस्ताव पारित हुआ तब जातिगत जनगणना का आभास भी नहीं था. जब जातिगत जनगणना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया तो यह 140 करोड़ जनता की जातिगत जनगणना के मेरे पास दोनों फार्म हैं जो नियम 334 (ए) है यह एस.सी. और एस.टी. के आरक्षण का है. इस 334 (ए) में महिला आरक्षण को जोड़ा गया है. महिला आरक्षण कैसे देना है, इस बारे में उसमें प्रावधान भी है.

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि शासकीय प्रस्ताव आ चुका है. विषय वही है. अब अशासकीय प्रस्ताव को लेने का कोई प्रावधान नहीं है, आज तक की परम्परा के अनुसार, अब आप इस सदन के मालिक हैं. आप जो निर्णय करेंगे वह मान्य होगा.

नेता प्रतिपक्ष, श्री उमंग सिंघार ने कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर बात अशासकीय संकल्प को ग्राह्य करना है या नहीं करना है उस पर हो रही है. उस पर बात करें, हमारा पाइंट ऑफ ऑर्डर है. आप व्यवस्था दे दें.

अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्यों के विचार सुनने के बाद व्यवस्था दी गई कि -

सामान्यतः हम सभी इस बात को भलीभांति जानते हैं कि जब विशेष सत्र का आयोजन होता है तो उसका विषय पहले से निश्चित होता है. विशेष सत्र में संकल्प आए, प्रस्ताव आए या किसी अन्य विषय पर वह चर्चा केन्द्रित हो. जब विषय आ जाता है तो सामान्य तौर पर कोई भी दूसरा अशासकीय संकल्प नहीं आ सकता है. ये जो पुराने प्रावधान हैं उनके अनुसार है. मुझे अनेक सदस्यों ने अन्य-अन्य विषयों पर चर्चा करने के लिए लिखा है और अशासकीय संकल्प भी दिए हैं. लेकिन यह विधि अनुरुप नहीं होने के कारण, कार्यमंत्रणा समिति में भी यह बात हुई थी कि मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर संशोधन आ सकते हैं. वो संशोधन भी मुझे प्राप्त हुए हैं. मैं उन संशोधनों को लूंगा और उन पर चर्चा कराऊंगा, लेकिन मेरा आप सबसे आग्रह है कि हमारी जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं और पुरानी परम्पराएं हैं. संशोधन का भी नियम नहीं है लेकिन मैंने दिखवाया कि पिछले अनेक वर्षों में क्या हुआ है तो पता चला कि 3-4 बार ऐसे संकल्प आए हैं और उनमें संशोधन अलाऊ किए गए हैं. उस परम्परा के अनुसार मैं संशोधनों को एलाऊ करूंगा इसलिए जो भी अशासकीय संकल्प या अन्य प्रकार की चर्चा की मांग की गई है. मैं उस अनुरोध को अस्वीकार करता हूँ. आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि चर्चा को हम आगे बढ़ाएं.

6. बहिर्गमन

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा महिलाओं को लोक सभा और विधान सभा में तत्काल आरक्षण न दिये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया.

7. अध्यक्षीय घोषणा

(i) शासकीय संकल्प पर प्राप्त संशोधन की सूचनाओं संबंधी

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि मुझे कुछ अशासकीय संकल्पों की सूचना प्राप्त हुई है जिन्हें मैने अस्वीकार कर दिया है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया है उसमें 7 संशोधनों की सूचनाएं प्राप्त हुईं है. इन सबकी विषय वस्तु लगभग एक समान है इसलिए जो पहली सूचना श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य की प्राप्त हुई है. वे अपनी उस सूचना को पढ़ें.

तत्पश्चात् श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य ने प्रस्तुत संकल्प में निम्नानुसार संशोधन प्रस्तुत किया :-

"इस सदन का मत है कि नारी शक्ति के वंदन हेतु महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण के लिए देश की संसद एवं सभी विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण, लोक सभा की वर्तमान 543 सीटों पर तत्काल प्रभाव से लागू किया जावे."

(ii) संकल्प पर चर्चा हेतु 4 घंटे का समय नियत किये जाने एवं भोजनावकाश न होने संबंधी

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि, संकल्प पर चर्चा हेतु 4 घंटे का समय नियत किया गया है एवं सदन की कार्यवाही सायं 4 बजे तक निरंतर चलेगी एवं भोजनावकाश नहीं होगा.

8. शासकीय संकल्प (क्रमशः)

उक्त संकल्प पर निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्रीमती कृष्णा गौर

9. अध्यक्षीय घोषणा

सदन की लॉबी में भोजन की व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि, ''आज भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में है. माननीय सदस्यगण अपनी सुविधानुसार भोजन ग्रहण कर सकते हैं.''

10. शासकीय संकल्प (क्रमश:)

(2) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी

सभापति महोदय (श्री अजय विश्नोई) पीठासीन हुए.

(3) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल
(4) श्री सोहनलाल बाल्मीक
(5) श्रीमती अर्चना चिटनीस
(6) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह

{सभापति महोदया (श्रीमती झूमा डॉ.ध्यान सिंह सोलंकी) पीठासीन हुईं}

(7) श्रीमती संपतिया उइके
(8) श्रीमती अनुभा मुंजारे
(9) श्री गोपाल भार्गव
(10) श्री लखन घनघोरिया
(11) श्री गौरव सिंह पारधी
(12) श्रीमती सेना महेश पटेल

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

(13) सुश्री निर्मला भूरिया
(14) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे
(15) डॉ. सीतासरन शर्मा
(16) श्री फूल सिंह बरैया
(17) सुश्री उषा बाबूसिंह ठाकुर
(18) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव
(19) श्रीमती रीती पाठक

{सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए}

11. अध्यक्षीय घोषणा

माननीय सदस्यों हेतु चाय की व्यवस्था

सभापति महोदय द्वारा घोषणा की गई कि माननीय सदस्यों के लिए लॉबी में चाय की व्यवस्था की गई है. सभी माननीय सदस्य अपनी सुविधानुसार चाय ग्रहण कर सकते हैं.

12. शासकीय संकल्प (क्रमश:)

(20) श्री आरिफ मसूद
(21) श्रीमती प्रतिमा बागरी

13. अध्यक्षीय घोषणा

सदन के समय में वृद्धि विषयक

सभापति महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि शासकीय संकल्प पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए.

14. शासकीय संकल्प (क्रमश:)

(22) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(23) श्रीमती ललिता यादव
(24) श्री मधु भाऊ भगत

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

(25) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा
(26) श्री बाला बच्चन
(27) श्री उमंग सिंघार

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा संकल्प पर मत के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया. जिस पर श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा कहा गया कि संशोधन पर पहले विभाजन होता है, यह परम्परा और नियम है.

श्री गिरीश गौतम, सदस्य ने कहा कि परम्परानुसार कई प्रस्ताव आते हैं. जब विधान सभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है तो 5-6 प्रस्ताव आते हैं और उसमें से पहले प्रस्ताव वाले में मत होता है, यदि वह पास हो गया तो बाकी के प्रस्ताव इनफ्रक्चुअस हो जाते हैं. इसी प्रकार जो संकल्प आया है केवल वोटिंग उसी में होगी. चाहे संकल्प पास हो या नहीं हो.

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा कहा गया कि मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय ने मत विभाजन की व्यवस्था दे दी, अब उस पर पीछे कैसे जायेंगे. इस पर डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य ने कहा कि नियम 117 से 129 में कहीं भी संशोधनों पर मत की व्यवस्था नहीं है. संकल्प पर ही मत की व्यवस्था है.

इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि मुख्यमंत्री जी का संकल्प पहले प्रस्तुत हुआ है और कल कार्य सूची सबको वितरित की गई है. जो संशोधन प्राप्त हुए हैं वह आज सुबह विधान सभा में प्राप्त हुए हैं. सामान्य तौर पर सब लोगों की इच्छा थी और सब लोग कार्यमंत्रणा में भी बैठे थे और पिछली एक-दो परंपराएं रही हैं जिसमें संशोधन स्वीकार किये गये थे इसलिये उन संशोधनों को प्रस्तुत किया गया. संशोधन पर और मूल संकल्प पर चर्चा हुई. जब डिवीजन की बात आती है तो संकल्प मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया तथा संशोधन श्री सोहनलाल बाल्मीक ने प्रस्तुत किया तो पहले मैने संशोधन की बात की और उसके बाद मुख्यमंत्री जी का संकल्प पढ़ा.

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर सभा का मत लिया गया.

प्रश्न यह है कि –

"इस सदन का मत है कि नारी शक्ति के वंदन हेतु महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण के लिए देश की संसद एवं सभी विधान सभाओं में महिलाओं के लिये एक तिहाई आरक्षण, परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर तत्काल प्रभाव से लागू किया जाये."

संकल्प स्वीकृत हुआ.
संशोधन अस्वीकृत हुए.

15. बहिर्गमन

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा प्रतिपक्ष की बात न सुने जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया.

16. सत्र का समापन

अध्यक्ष महोदय द्वारा अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा गया कि आज का यह एक दिवसीय विशेष सत्र अपने समापन की ओर अग्रसर है. आज की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत "नारी शक्ति वंदन" के अंतर्गत महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से देश की संसद एवं सभी विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण तथा परिसीमन लागू करने संबंधी संकल्प पर इस सदन में लगभग 8 घंटे अत्यंत गंभीर, सार्थक एवं विस्तृत चर्चा हुई. इस अवसर पर एक हजार से अधिक महिलाएं सदन की दीर्घा में उपस्थित होकर सदन की कार्यवाही की साक्षी बनीं.

माननीय सदस्यों द्वारा संकल्प पर अपने-अपने विचार रखते हुए यह स्पष्ट किया गया कि महिलाओं को विधायिकाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करना केवल समानता का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र को और अधिक समावेशी, सशक्त एवं उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. महिलाओं की भागीदारी से नीति निर्माण में संवेदनशीलता, दूरदर्शिता एवं सामाजिक न्याय के तत्व और अधिक सुदृढ़ होंगे.

यह सर्वविदित है कि हमारे देश एवं प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं की है, किन्तु नीति-निर्धारण की प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही है. ऐसे में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था उन्हें समान अवसर प्रदान करने के साथ-साथ उनके आत्मविश्वास एवं नेतृत्व क्षमता को भी सशक्त बनाएगी. जिसके परिणामस्वरूप अनेक सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे.

इस संकल्प अनुसार आरक्षण एवं परिसीमन की व्यवस्था सुनिश्चित होने के उपरांत अवश्य ही महिलाएं राजनीतिक मुख्यधारा में आएंगी तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, महिला सुरक्षा एवं बाल कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अधिक प्रभावी एवं संवेदनशील नीतियों के निर्माण में भी सहायक होंगी. जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग का संतुलित विकास सुनिश्चित हो सकेगा.

हमने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण के सकारात्मक परिणाम पहले ही देखे हैं, जहां महिलाओं ने नेतृत्व करते हुए विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं. उसी प्रकार विधान सभाओं एवं संसद में भी उनकी बढ़ी हुई भागीदारी निश्चित रूप से देश एवं प्रदेश के समग्र विकास को नई दिशा प्रदान करेगी.

अंत में, मैं आशा एवं विश्वास व्यक्त करता हूँ कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में यह संकल्प एक ऐतिहासिक कदम सिद्ध होगा और हम सभी मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे, जहाँ महिलाओं को समान अवसर, सम्मान एवं अधिकार प्राप्त हों.

इस सत्र के सुचारू संचालन हेतु मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, मान. संसदीय कार्य मंत्री, सभी माननीय मंत्रीगण, सभापति तालिका के सदस्यगण, समस्त माननीय सदस्य, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, विधान सभा के प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय एवं शासन के अधिकारी-कर्मचारी तथा सुरक्षा कर्मियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ.

तदुपरांत डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री एवं श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने भी उद्गार व्यक्त किये.

17. विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित किये जाने संबंधी प्रस्ताव

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्ताव किया गया कि आज की कार्य सूची का कार्य पूर्ण हो गया है. अत: मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 12-ख के द्वितीय परंतुक के अंतर्गत, सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

18. राष्ट्रगान

'जन-गण-मन' का समूह-गान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' का समूह-गान किया गया.

19. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित किये जाने संबंधी घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए.

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल
दिनांक : 27 अप्रैल, 2026